न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 25/2019 **दायरा दिनांक : 30.04.2019**

उनवान

1– रमेश चन्द्र आत्मज श्री रघुनाथ सोनी, जाति सुना, उम्र 50 वर्ष, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– देवीलाल आत्मज श्री रतनलाल सोनी, जाति सुना, उम्र 62 वर्ष, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– श्रीमन्दिर श्री महादेव जी चौमहला नाबालिक जर्ये वली अशोक सोनी आत्मज मोहनलाल सोनी, अध्यक्ष स्वर्णकार समाज गंगधार, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री विनोद व्यास अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 19.11.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 00043/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिप्रार्थी नम्बर 1 वादी द्वारा एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थी नं. 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मल्हारगंज, तहसील गंगधार की नकल जमाबंदी संख्या 142 सम्वत 2068–72 आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा मंदिर श्री महादेव जी व्यवस्थापक रमेश चन्द खातेदार से अपीलांटगण प्रतिवादीगण व्यवस्थापक रमेश चन्द का नाम हटाया जावे इस हेतु प्रस्तुत किया जिसे

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का पक्ष लिये बिना ही बिना अपीलार्थीगण की मौजूदगी में मनमाने तरीके से अपीलार्थीगण की उपस्थिति दर्ज बताकर निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 पारित की जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि आलौच्य आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2018 पत्र संग्रहसार एवं कानून के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का उचित मूल्याकंन नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के निर्णय के साथ ही मूल वाद का निर्णय करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.04.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का उचित मूल्याकंन नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के निर्णय के साथ ही मूल वाद का निर्णय करने में त्रुटि की है । व्यवस्थापक का नाम हटाकर मन्दिर महादेव के नाम लगाये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 अपास्त किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार का दिनांक दिनांक 08.06.2018 का फैसला लोक अदालत में किया । अपील 10 माह देरी से पेश हुई है । अपीलांट का नाम रमेश चन्द व देवीलाल का नाम व्यवस्थापक के रूप में नाम दर्ज है । व्स्थापक की हैसियत से जमीन बेच रहे हैं । दिनांक 05.04.2016 को सोनी समाज के मन्दिर में व्यवस्थापकों के खिलाफ मामला माना है व

इसका नाम हटाने की कार्यवाही की जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में सही आदेश पारित किया है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प तलावली में वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में मजमे आम में निर्णय पारित किया है । निर्णय में वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मल्हारगंज खाता संख्या 142 किता 1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा मन्दिर श्री महादेव जी की भूमि है । अपीलांट रमेशचन्द पिता रूघनाथ सोनी व देवीलाल पिता रतनलाल निवासीयान चौमहला का नाम व्यवस्थापक की हैसियत से दर्ज है । व्यवस्थापक मात्र मंदिर की देखभाल व आराजी देखभाल हेतु होता है ना कि मन्दिर की आराजी को खुर्द–बुर्द करने का अधिकार प्राप्त होता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) का नाम खाते से कम कर सम्पूर्ण आराजी मन्दिर श्री महादेव जी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– रमेश चन्द्र आत्मज श्री रघुनाथ सोनी, जाति सुना, उम्र 50 वर्ष, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– देवीलाल आत्मज श्री रतनलाल सोनी, जाति सुना, उम्र 62 वर्ष, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

..... अपीलांट

बनाम

1– श्रीमन्दिर श्री महादेव जी चौमहला नाबालिक जर्ये वली अशोक सोनी आत्मज मोहनलाल सोनी, अध्यक्ष स्वर्णकार समाज गंगधार, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

..... रेस्पोडेंट

अपील नं. 25/2019 एवं
मु.द.नं 43/दावा/2016

नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, गंगधार
निर्णय अंतिम डिकी दिनांक – 08–06–2018

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 10 माह 11 सन् 2020

हाजरी श्री विनोद व्यास अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 08.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 19 माह 11 सन् 2020 को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.